कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/356 दिनांकः 10.09.2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा ।
5. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय :– प्रवासी श्रमिकों के बच्चों, अनामांकित व ड्राप आउट बच्चों के चिन्हीकरण एवं विद्यालय में नामांकन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांकः रास्कूशिप/जय/वै.एवं औ.शि/2020–21/14340 दिनांकः 27.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कोविड–19 के कारण हुए लॉक डाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे है और संभावना है कि वे अपने घरों पर अलग–अलग समयावधि तक रूके। इन प्रवासी मजदूरों के साथ उनका परिवार व बच्चे भी लौटे है, जिससे कि इन बच्चों की शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया बाधित हुई है और जब तक कि विशेष प्रयास नहीं किये जाते, ये शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रह जाएंगे। इसके कारण आपके क्षेत्र में दो अथवा कोई एक तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी –

- एक परिस्थिति में विद्यालय में नामांकन कम होगा और ऐसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे अनुपस्थित श्रेणी में आ जाएंगे।
- दूसरी परिस्थिति में स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और ऐसे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ अन्यत्र माइग्रेट करने वाले बालक–बालिकाओं का नियमित अध्ययन जारी करने के लिए निम्न निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें:–

1. उन बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में जो वर्तमान विद्यालय वाले स्थान से माता –पिता के साथ अन्यत्र प्रवास पर चले गए :–
   (अ) उनका नाम नामांकन पंजिका से हटाया नहीं जाए।
   (ब) ऐसे बालक–बालिकाओं का नाम नामांकन सूची में पृथक से लिखा जाकर, उसके समक्ष अस्थायी अनुपस्थित/कोविड–19 के कारण माईग्रेशन लिखा जाए।
   (स) हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित प्रवासी बालक–बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में अपलोड की जाए।

2. उन बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में जो अपने प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ आए है:–
   (अ) ऐसे बालक–बालिकाओं को देशभर में मान्य किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से स्कूलों मे प्रवेश दिया जाए।
   (ब) इनसे किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेजो की मांग नहीं की जाए जैसे पूर्व में अध्ययनतर कक्षा का प्रमाण, स्थानान्तरण प्रमाण इत्यादि। अभिभावकों द्वारा दी गई सूचना/शपथ पत्र को सत्य मानते हुए उसके आधार पर निकटतम राजकीय विद्यालय में सम्बन्धित कक्षा में बच्चे का तत्काल नामांकन किया जाए।
   (स) बोर्ड कक्षा (कक्षा 10 व 12) में प्रवेश लेने वाले बच्चों से शपथ पत्र ले लिया जाए कि वे बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, जिससे परीक्षा आवेदन हो सके।
   (द) ऐसे बालक–बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पर अपलोड की जाए।

उपर्युक्तानुसार जो बालक–बालिकाएं प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ अन्यत्र गए थे एवं पुनः पुराने स्थान पर (विद्यालय में) लौट आए है तथा वे बालक–बालिकाएं जिन्होंने अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हैं उनकी जानकारी शाला दर्पण उपलब्ध मॉड्यूल में प्रविष्ट करावें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक माता–पिता के साथ जाने वाले तथा आने वाले किसी भी बालक/बालिका का अध्ययन बाधित ना हों।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय :– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पावटा (जयपुर)
पत्रांक – 1132 दिनांक – 10/9/2020
समस्त पीईईओ/संस्थाप्रधान
उपर्युक्तानुसार मूल पत्र पालनार्थ प्रेषित है।
10.9.20

D:\ma - D\General letter

गुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति पावटा (जयपुर)

www.rajsevak.com